राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

विषय : पोक्सो कोर्ट में नियुक्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक को निर्देशित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि पुलिस आयुक्त, जयपुर से प्राप्त पत्र द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार के विभिन्न थानों में बलात्कार पोक्सो एक्ट के दर्ज अन्वेषणाधीन प्रकरणों में सम्बन्धित थानाधिकारीगण द्वारा लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक से अभियोजन सम्बन्धी राय चाही जाने पर लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा राय प्रदान नहीं की जाकर पत्रावली को लम्बित रखा जाता है तथा बार–बार कमियां अंकित कर ऐतराज पूर्ति हेतु लौटाया जाता है जिसके फलस्वरुप बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के प्रकरणों के निस्तारण की समयबद्ध (60 दिवस में) अनुपालना नहीं हो पाती है, साथ ही लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के क्षेत्राधिकार के विभिन्न थानों में दर्ज अन्वेषणाधीन प्रकरणों में सम्बन्धित थानाधिकारीगण द्वारा अभियोजन सम्बन्धी राय चाही जाने पर एक साथ सम्पूर्ण राय लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा दिलवाने बाबत तथा उन पत्रावलियों में यदि कोई ऐतराज हो तो वह अंकित कर शीघ्रताशीघ्र सम्पूर्ण अभियोजन राय दी जाकर पत्रावलियों को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,

....

अ.शा. टीप क्र.: प.25(2)(1)विविध/अभि/24
जयपुर, दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation : Secretary
Date: 2025.04.26 15:16:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14448673